संख्या– 400/11–6–10–एम(20)/2008

प्रेषक,

दुर्गा शंकर मिश्र,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिला मजिस्ट्रेट,
उत्तर प्रदेश।

कर एवं निबन्धन अनुभाग–6 लखनऊः दिनांक 31 मार्च, 2011

विषयः केबिल टी0वी0 नेटवर्क सेवा पर कराधान के संबंध में वर्ष 2011–12 हेतु एकमुश्त समाधान योजना लागू किया जाना।

महोदय,

केबिल टी0वी0नेटवर्क सेवा में प्रदेश में कराये गये सैम्पुल सर्वे में केबिल कनेक्शन की संख्या, उपभोक्ताओं से वसूल की गयी धनराशि में भारी विचलन पाये जाने एवं इस सेवा में होने वाले करापवंचन को दूर करने के उद्देश्य से कराधान के संबंध में वित्तीय वर्ष 2010–11 में शासनादेश संख्या–1283/11–6–2010– एम (20) /2008, दिनॉक 03–08–10 द्वारा एक मुश्त समाधान योजना लागू की गयी थी। इस समाधान योजना में वित्तीय वर्ष 2009–10 में केबिल संचालक द्वारा देय मनोरंजन कर की सकल धनराशि में 30 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की व्यवस्था की गयी थी। इस समाधान योजना से एक ओर जहॉ केबिल आपरेटरों को सामयिक विववरण पत्र प्रस्तुत करने, अभिलेखों के रख रखाव करने एवं निरीक्षण अधिकारियों के सर्वे से छूट मिली वहीं दूसरी ओर सरकार इस सेवा में अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हुआ तथा इस सेवा से संबंधित अनेक विवाद समाप्त हुए। इस समाधान योजना का लाभ प्रदेश के लगभग 80 प्रतिशत केबिल आपरेटरों ने प्राप्त किया।

2. अतः वित्तीय वर्ष 2010–11 में केबिल टी0वी0 नेटवर्क सेवा पर कराधान के संबंध में अच्छे परिणाम के दृष्टिगत रखते हुए सम्यक् विचारोपरांत शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि वित्तीय वर्ष 2011–12 में एक वर्ष की अवधि हेतु समाधान योजना का विकल्प प्रस्तुत करने वाले केबिल आपरेटर के केबिल टी0वी0 केन्द्र पर **वित्तीय वर्ष 2009–10 के विभिन्न माहों हेतु देय मनोरंजन कर की सकल धनराशि में 40 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी** करके निम्नलिखित शर्तों के अधीन केबिल टी0वी0 नेटवर्क सेवा पर कराधान संबंधी एकमुश्त समाधान योजना लागू की जाती है :

(1) उक्त समाधान योजना वैकल्पिक होगी और यह योजना विभिन्न जनपदों में तभी प्रभावी होगी, जबकि उस जनपद के 60 प्रतिशत केबिल आपरेटर इस योजना का विकल्प शासनादेश जारी होने के 45 दिन के अन्दर सबंधित जिला मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत करेंगे और इस सम्बन्ध में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 60 दिन के अन्दर तत्सम्बन्धी आदेश निर्गत कर दिये जायेंगे।

(2) किसी केबिल आपरेटर द्वारा समाधान योजना का विकल्प चुनने पर उसे आगामी एक वर्ष अर्थात वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु उक्त विकल्प से आबद्व रहेगा तथा तदानुसार निर्धारित समाधान कर

संख्या– 400/11–6–10–एम(20)/2008

प्रेषक,

दुर्गा शंकर मिश्र,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिला मजिस्ट्रेट,
उत्तर प्रदेश।

कर एवं निबन्धन अनुभाग–6 लखनऊः दिनांक 31 मार्च, 2011

विषयः केबिल टी0वी0 नेटवर्क सेवा पर कराधान के संबंध में वर्ष 2011–12 हेतु एकमुश्त समाधान योजना लागू किया जाना।

महोदय,

केबिल टी0वी0नेटवर्क सेवा में प्रदेश में कराये गये सैम्पुल सर्वे में केबिल कनेक्शन की संख्या, उपभोक्ताओं से वसूल की गयी धनराशि में भारी विचलन पाये जाने एवं इस सेवा में होने वाले करापवंचन को दूर करने के उद्देश्य से कराधान के संबंध में वित्तीय वर्ष 2010–11 में शासनादेश संख्या–1283/11–6–2010– एम (20) /2008, दिनॉक 03–08–10 द्वारा एक मुश्त समाधान योजना लागू की गयी थी। इस समाधान योजना में वित्तीय वर्ष 2009–10 में केबिल संचालक द्वारा देय मनोरंजन कर की सकल धनराशि में 30 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की व्यवस्था की गयी थी। इस समाधान योजना से एक ओर जहॉ केबिल आपरेटरों को सामयिक विववरण पत्र प्रस्तुत करने, अभिलेखों के रख रखाव करने एवं निरीक्षण अधिकारियों के सर्वे से छूट मिली वहीं दूसरी ओर सरकार इस सेवा में अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हुआ तथा इस सेवा से संबंधित अनेक विवाद समाप्त हुए। इस समाधान योजना का लाभ प्रदेश के लगभग 80 प्रतिशत केबिल आपरेटरों ने प्राप्त किया।

2. अतः वित्तीय वर्ष 2010–11 में केबिल टी0वी0 नेटवर्क सेवा पर कराधान के संबंध में अच्छे परिणाम के दृष्टिगत रखते हुए सम्यक् विचारोपरांत शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि वित्तीय वर्ष 2011–12 में एक वर्ष की अवधि हेतु समाधान योजना का विकल्प प्रस्तुत करने वाले केबिल आपरेटर के केबिल टी0वी0 केन्द्र पर **वित्तीय वर्ष 2009–10 के विभिन्न माहों हेतु देय मनोरंजन कर की सकल धनराशि में 40 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी** करके निम्नलिखित शर्तों के अधीन केबिल टी0वी0 नेटवर्क सेवा पर कराधान संबंधी एकमुश्त समाधान योजना लागू की जाती है :

(1) उक्त समाधान योजना वैकल्पिक होगी और यह योजना विभिन्न जनपदों में तभी प्रभावी होगी, जबकि उस जनपद के 60 प्रतिशत केबिल आपरेटर इस योजना का विकल्प शासनादेश जारी होने के 45 दिन के अन्दर सबंधित जिला मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत करेंगे और इस सम्बन्ध में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 60 दिन के अन्दर तत्सम्बन्धी आदेश निर्गत कर दिये जायेंगे।

(2) किसी केबिल आपरेटर द्वारा समाधान योजना का विकल्प चुनने पर उसे आगामी एक वर्ष अर्थात वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु उक्त विकल्प से आबद्व रहेगा तथा तदानुसार निर्धारित समाधान कर

की धनराशि (सम्मत कर) का नियमानुसार भुगतान करना अनिवार्य होगा। वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु प्रत्येक माह के लिये निर्धारित सम्मत कर की धनराशि वित्तीय वर्ष 2009–10 के विभिन्न माहों हेतु **देय मनोरंजन कर** के औसत धनराशि **(आधार धनराशि)** में 40 प्रतिशत बढ़ाकर निर्धारित की जायेगी। **आधार धनराशि** का तात्पर्य समाधान योजना के विकल्प चुनने वाले केबिल आपरेटर के केबिल टी0वी0 केन्द्र से वित्तीय वर्ष 2009–10 में विभिन्न माहों के देय मनोरंजन कर की औसत देय मासिक धनराशि हेतु देय मनोरंजन कर की धनराशियों के योग को 12 से भाग देने पर प्राप्त होने वाली धनराशि से है। **देय मनोरंजन कर** का तात्पर्य किसी केबिल टी0वी0 केन्द्र से किसी माह में जारी केबिल कनेक्शनों पर लगने वाले मनोरंजन कर से है। जो उस माह में जारी केबिल कनेक्शनों की संख्या तथा प्रति उपभोक्ता शुल्क व तत्समय लागू मनोरंजन कर के गुणनफल के समतुल्य धनराशि से है।

(3) यदि कोई केबिल आपरेटर इस समाधान योजना के संबंध में वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु विकल्प चुनना चाहता है, तो वह इस संबंध में संबंधित जिला मजिस्ट्रेट को उक्त विकल्प शासनादेश निर्गत होने के 45 दिन के अन्दर प्रस्तुत करेगा।

(4) केबिल उपभोक्ताओं के हित को संरक्षित करने हेतु इस योजना में यह प्रतिबन्ध लगाया जाय कि प्रत्येक केबिल आपरेटर अपने उपभोक्ताओं से दिनांक 31–12–2009 **(कट आफ डेट)** को प्रति उपभोक्ता वसूल की जाने वाली अधिकतम धनराशि से अधिक कोई धनराशि इस योजना के अवधि समाप्ति तक नही वसूल करेंगे। इस हेतु केबिल आपरेटर योजना का विकल्प प्रस्तुत करते समय दिनांक 31–12–2009 को अपने केन्द्र से जारी केबिल कनेक्शन हेतु वसूल की जाने वाली मासिक शुल्क की अधिकतम धनराशि अंकित करेगा।

(5) केबिल आपरेटर योजना का विकल्प प्रस्तुत करते समय दिनांक 31–12–2009 तक अपने केन्द्र से जारी केबिल कनेक्शनों की संख्या व उसके विस्तार का क्षेत्र तथा उन क्षेत्रों में वसूल की जाने वाली मासिक शुल्क की धनराशि अंकित करेगा।

(6) यदि किसी केबिल आपरेटर ने प्रस्तर–5 में घोषित कनेक्शन्स व क्षेत्र में दूसरे केबिल आपरेटर के कनेक्शनों को जोड़ कर अथवा घोषित क्षेत्र का अन्यथा विस्तार करता है, तो उस हेतु उसे **अतिरिक्त कर** अदा करना होगा। प्रस्तावित समाधान योजना का विकल्प चुनते समय प्रत्येक केबिल आपरेटर अपने केन्द्र से दिनांक 31–12–2009 (कट आफ डेट) को जारी केबिल कनेक्शनों का विस्तार क्षेत्र, कनेक्शनों की संख्या तथा मासिक उपभोक्ता शुल्क घोषित करेगा। इस संबंध में कर के निर्धारण की प्रक्रिया इस प्रकार रहेगी कि यदि उस केबिल आपरेटर जिसका क्षेत्र मिलाया जा रहा है, यदि वह समाधान योजना के अन्तर्गत विकल्प चुनकर मनोरंजन कर अदा कर रहा है तो उस हेतु निर्धारित सम्मत कर का उन्हें, जिनका क्षेत्र विस्तारित हुआ है, को अतिरिक्त रूप से कर अदा करना होगा। परन्तु यदि मिलने वाले केबिल टी0वी0 केन्द्र के आपरेटर द्वारा समाधान योजना का विकल्प नहीं चुना गया था और लागू दर के अनुसार केबिल उपभोक्ताओं से एकत्रित मनोंरजन कर की धनराशि राजकोष में जमा कर रहा था जो ऐसी दशा में उसे अपने क्षेत्र में मिलाने वाला केबिल आपरेटर उसी अनुसार तब तक मनोरंजन कर अदा करता रहेगा जब तक कि वह उस क्षेत्र हेतु भी समाधान का विकल्प प्रस्तुत नहीं कर देता । इसके अतिरिक्त समाधान योजना का विकल्प चुनने वाला केबिल आपरेटर अपने क्षेत्र का अन्यथा विस्तार करता है तो

विस्तारित क्षेत्र में जारी केबिल कनेक्शनों हेतु वह तत्समय लागू दर से एकत्रित मनोरंजन कर तब तक जमा करता रहेगा जबतक कि उक्त विस्तारित क्षेत्र में जारी कनेक्शनों के संबंध में समाधान योजना का विकल्प चुन नहीं लेता।

(7) जिला मजिस्ट्रेट को यदि समाधान हो जाता है कि किसी केबिल आपरेटर ने समाधान योजना का विकल्प प्रस्तुत करने में तथ्यों को छिपाया है अथवा गलत तथ्य प्रस्तुत किये हैं तो जिला मजिस्ट्रेट को यह अधिकार होगा कि वह समाधान योजना संबंधी निर्गत आदेश को तदनुसार संशोधित कर सके।

(8) इस समाधान योजना के अन्तर्गत विकल्प प्रस्तुत करने वाला केबिल आपरेटर देय मासिक सम्मत कर का भुगतान उ0प्र0 केबिल टेलीविजन (प्रदर्शन) नियमावली, 1997 के नियम 11 के प्राविधानों के अनुसार करेगा।

(9) इस समाधान योजना के अन्तर्गत विकल्प प्रस्तुत करने वाला केबिल आपरेटर पर उ0प्र0 केबिल टेलीविजन (प्रदर्शन) नियमावली, 1997 के नियम 9 तथा 10 के प्राविधान लागू नही होंगे।

(10) केबिल समाधान योजना का विकल्प देने वाले आपरेटरों के द्वारा वित्तीय वर्ष 2011–12 में राजकोष में जमा की गयी कर की धनराशि को समाधान राशि में समायोजित किया जायेगा।

3. अतः अनुरोध है कि समाधान योजना का व्यापक प्रचार प्रसार करते हुए केबिल टी0वी0 नेटवर्क सेवा पर कराधान के संबंध में उपर्युक्त निर्देशानुसार समयबद्ध रूप से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए कृत कार्यवाही की सूचना शासन एवं आयुक्त, मनोरंजन कर, उ0प्र0 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

31/3/11

(दुर्गा शंकर मिश्र)
प्रमुख सचिव।

संख्या– (1)/11–6–10–एम(20)/2008 तद्दिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1– आयुक्त, मनोरंजन कर, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ कि उक्त समाधान योजना को लागू किये जाने हेतु एक 'स्टैण्डर्ड प्रोफार्मा' तैयार कराकर समस्त जिला मजिस्ट्रेटों को उपलब्ध करा दें एवं विभाग के जनपदीय अधिकारियों को गणना हेतु प्रशिक्षित करते हुए 'सेन्सटाइज' (सुग्राहीकृत) कर दें, ताकि समान रूप से समयबद्ध तरीके से योजना का लाभ समस्त सम्बन्धित को प्राप्त हो सके।

2– वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–9, उत्तर प्रदेश शासन।

3– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(वीरेन्द्र प्रताप सिंह)
विशेष सचिव।